प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 09 अप्रैल,2014**

विषय:- अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में खाद्य प्रसंस्करण शाखा में वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2014 तक) के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष धनराशि रू0-90479 हजार (4/12 भाग) को अवमुक्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-338/बजट-आायोजनेत्तर/2013-14, दिनांक: 31.03.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत अयोजनेत्तर पक्ष में खाद्य प्रसंस्करण शाखा के लिए मुख्य लेखाशीर्षकवार प्रथम प्रथम चार माहों (अप्रैल-2014 से जुलाई, 2014 तक) के लिए स्वीकृत लेखानुदान रू0-271438 हजार मात्र के सापेक्ष 4/12 भाग की धनराशि रू0-90479 हजार भारित सहित (रूपये नौ करोड़ चार लाख उन्नासी हजार मात्र) को अवमुक्त कर आपके निर्वतन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश की खाद्य प्रसंस्करण शाखा के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु प्राविधानित धनराशि अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि का योजनावार/मदवार विवरण निम्नवत है :-

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0 सं0	**लेखाशीर्षक /योजना का नाम**	**कोड सं0 /मद का नाम**		**वित्तीच वर्ष 2014-15 के लिए अनुदान**	**वर्ष के प्रथम चार माहों (4/12 भाग) हेतु अपेक्षित धनराशि**
1	**2**	**3**		**4**	**5**
1	2401-फसल कृषि कर्म- आयोजनेत्तर- 119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-	01.	वेतन	112599	37533
		02.	मजदूरी	618	206
		03.	महँगाई भत्ता	118229	39410
		04.	यात्रा व्यय	750	250

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

	04-फल- 0409-खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	05.	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	315	105
		06.	अन्य भत्ते	13000	4333
		08.	कार्यालय व्यय	545	181
		09.	विद्युत देय	1200	400
		10.	जलकर/जल प्रभार	210	70
		11.	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	210	70
		12.	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	105	35
		13.	टेलीफोन पर व्यय	100	33
		16.	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	58	19
		17.	किराया उप शुल्क और कर स्वामित्व	2500	833
		18.	प्रकाशन	105	35
		29.	अनुरक्षण	500	168
		42.	अन्य व्यय -मतदेय	315	105
			भारित	25	8
		43.	सामग्री और सम्पूर्ति	1050	350
		44.	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	400	133
		45.	अवकाश यात्रा व्यय	150	50
		47.	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	75	25
		49.	चिकित्सा व्यय	1500	500
		51.	वर्दी व्यय	41	14
			योग -0409 **मददेय** **भारित**	**254575** **25**	**84858** **8**
2	0412-फूड एक्सपो, मेले, प्रदर्शनी आदि का आयोजन	42.	अन्य व्यय	100	**33**
			योग -0412	**100**	**33**
3	0413-ई-गर्वेस तथा डाटा बेस का सुदृढ़ीकरण	46.	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	800	267
			योग -0413	800	267
4	0415-कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रों का संचालन	44.	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1150	**384**
			योग -0415	**1150**	**384**
			योग -2401 **मतदेय** **भारित**	**256625** **25**	**85542** **8**

.....3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

2	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-आयोजनेत्तर- 80-सामान्य- 004-अनुसंधान- 07-राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी संथान	01.	वेतन	6447	2149
		02.	मजदूरी	50	16
		03.	महँगाई भत्ता	6769	2256
		04.	यात्रा व्यय	120	40
		06.	अन्य भत्ते	515	172
		08.	कार्यालय व्यय	60	20
		09.	विद्युत देय	50	17
		10.	जलकर/जल प्रभार	10	3
		11.	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	40	13
		12.	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20	7
		13.	टेलीफोन पर व्यय	30	10
		15.	गाड़ियों का अनुरक्षण व पेट्रोल आदि की खरीद	50	17
		29.	अनुरक्षण	70	23
		42.	अन्य व्यय	100	33
		43.	सामग्री और सम्पूर्ति	12	4
		44.	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	25	8
		45.	अवकाश यात्रा व्यय	20	7
		49.	चिकित्सा व्यय	400	134
			योग-07	**14788**	**4929**
			योग-2415	**14788**	**4929**
			बृहद् योग-मतदेय	**271413**	**90471**
			भारित	**25**	**8**
			बृहद् योग-राजस्व	**271438**	**90479**

(धनराशि रूपये-नौ करोड़ चार लाख उन्नासी हजार मात्र)

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि स्वीकृत है। जहां आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही व्यय किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृति की प्रत्याशा में कदापि न किया जाए।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रण में किया जायेगा।

6. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण यथा वित्तीय नियमों के अनुसार शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

.....3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में दी गयी शर्तों एवं अनुबन्धों का अनुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक तथा मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

9. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगामी लोक सभा चुनाव के दृष्टिगत लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

10. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च,2014 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित निर्देशों/अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या-30/293(1)/58-2-2012, तद्दिनांक:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in